न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा
उनवान - हरिमोहन V/s अजय कुमार वगै.
टीआई मु.नं. - 55/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
17/2/26	वकील प्रार्थी उप. । अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 7 की तामिल रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम करवायी गई थी। जिसे एक माह से भी अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 की उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते/बहस टीआई हेतु पत्रावली दिनांक 26.02.26 को पेश हो।	
26.02.26	वकील प्रार्थी उप. । प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होती है। अतः ~~मुकदमा~~ प्रकरण में वर्णित भूमि के वाद की सुनवाई के दौरान खुर्द-बुर्द की संभावना को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ग्राम बरखेडा पटवार हल्का खेवाल भू.अभि.नि. दौसा नांगलबैरसी तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 804 रकबा 0.42 हे0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.42 हे. के मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है। पत्रावली कैमल शुमार होकर नम्बर से कम हो व मूलवाद के साथ संलग्न रहे। सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा	